राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] चतुर्थ विधान सभा के छठे सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

बृहस्पतिवार, दिनांक 15 जनवरी, 1970

विधान सभा की बैठक म.पू. 4.7 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सचिव अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखी गई)

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री गुरमुख निहालसिंह के निधन पर शोक प्रकट।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक शोक प्रस्ताव हमने दिया है। गंगानगर जिले में लोगों को गोली से मारा गया है, गंगानगर जिले में जो शहीद हुए हैं और जो आन्दोलन के सिलसिले में इस सरकार की दमनकारी नीति रही है उस पर हमने सभी विरोधी पार्टियों की ओर से एक शोक प्रस्ताव पेश किया है। उस शोक प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन किया है कि उस शोक प्रस्ताव को इस बैठक में लिया जाय। हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था पहले हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं, अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे दूं पहले-मैं यह चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है......

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न पहले आ गया है। पहले ही व्यवस्था का प्रश्न आ चुका है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस सम्बन्ध में है......

श्री अध्यक्ष : उसके बाद में कोई व्यवस्था का प्रश्न आयेगा नहीं। पहले जो आया है उसके ऊपर मैं निर्णय दे रहा हूं।

माननीय सदस्यों की ओर से एक शोक प्रस्ताव गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में प्रस्तुत हुआ है। मैं स्वयं यह चाहता हूं कि यह यदि कल रखा जाता तो उपयुक्त होता

(श्री अध्यक्ष)
आज एक शोक प्रस्ताव और कल दूसरा शोक प्रस्ताव यह सुविधाजनक होता इस सदन के लिये भी और मेरे लिये भी। आपकी सम्मति है कि मैं इसे प्राथमिकता दूं, इसके अतिरिक्त आप चाहते हैं कि आज लिया जाय तो पहले एक्स-गवर्नर के शोक-प्रस्ताव को ले लें, इसको बाद में ले लेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों की निर्दयतापूर्वक हत्या की गई है इस सरकार के द्वारा उनके नाम से श्रद्धांजलि पहले आनी चाहिये। वह सरदारजी तो अपनी मौत मरे हैं लेकिन इनको इस हत्यारी सरकार ने गोली से मारा है। इसलिये उन शहीदों के प्रति पहले श्रद्धांजलि अर्पित होनी चाहिये। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बात तो सही है।

श्री अध्यक्ष : सरदार गुरमुख निहाल सिंह...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य को भावनाओं को देखते हुए कि इन घटनाओं का हम राजस्थान वासियों से बहुत सीधा सम्पर्क व सम्बन्ध है, इसके साथ ही ये घटनाएं ताजी होने के कारण भावनाओं का भी प्रश्न है इसलिये हम चाहेंगे कि इन गोलीकांडों में जो लोग शहीद हुए हैं उनको सम्मानपूर्वक यह सदन श्रद्धांजलि अर्पित करे, और फिर जो हमारे माननीय भूतपूर्व राज्यपाल महोदय का निधन हुआ है उनको सम्मानपूर्वक हम अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करें। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे पहले लिया जाय, जो रामचन्द्रजी ने बात कही है उससे मैं सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरा विश्वास है कि शोक प्रस्ताव पर यहां वाद विवाद उपयुक्त नहीं होगा, मैं फिर भी सदन की सम्मति के लिये इस प्रश्न को रखना चाहूंगा कि भूतपूर्व राज्यपाल श्री गुरमुख निहालसिंह का शोक प्रस्ताव दो मिनिट में समाप्त होता है, उसके बाद यह शोक प्रस्ताव जिसमें समय लग सकता है, इसे ले लिया जाय इसमें प्राथमिकता का प्रश्न नहीं है। दोनों को लेने का मैंने सदन से निवेदन किया है तो इसको पहले ले लिया जाय और इसके बाद में इसे लेलिया जाये...

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्य मंत्री ने हमारे निर्दोष सत्याग्रहियों को गोलियों से मारा है, उनके खून से होली खेली है, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके सीनों में गोलियाँ दागी हैं, निर्दयतापूर्वक निर्दोष लोगों को गोलियों से मारा है हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे शहीदों के प्रति शोक प्रस्ताव को बाद में लिया जाय...

श्री अध्यक्ष : मैं, आपकी भावनाओं को समझ गया हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारे उन शहीदों को श्रद्धांजलि पहले अर्पित की जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी भावनाओं को समझ गया हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस देश के नौजवानों को, निहत्थे, निर्दोष लोगों को इस तरह निर्दयतापूर्वक मारा गया है…

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य…शोक प्रस्ताव को आप नहीं लेने देंगे, शोक संवेदना के प्रस्ताव हैं, उनको आप नहीं लेने देंगे, यही अर्थ है आपका ?…

श्री रामचन्द्र आर्य : गोलियां चला 2 कर उनके पीछे भाग भाग कर उनको मारा गया है, इस प्रकार का……

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको सीरियसली लें, यह शोक प्रस्ताव है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा था कि यदि आप चाहते हैं कि इसको पहले लें तो इसमें मुझे आपत्ति नहीं होगी।

दो तीन एड्जर्नमैंट मोशन मेरे सामने आये हैं, उनके ऊपर भी व्यवस्था देनी है, इससे पहले कि प्रश्न पूछें, मैं उस पर कल व्यवस्था दे दूंगा। दोनों तरह की व्यवस्था, मंजूर करना है, नहीं करना है, मैं कल ही उसको ले लूंगा। यदि इस सम्बन्ध में बहुत ही ज्यादा उग्रता हो तो इसे पहले लेने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी। लेकिन मैं समझता था कि दूसरा शोक संवेदना का प्रस्ताव है वह दो मिनट में निकल जाता है तो फिर इस पर बोलना चाहे बोलें। इसलिए सहृदयता से, सहानुभूति से उसको पहले ले लें। मैं समझता हूं इसमें उग्रता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा साधारण जिनकी मृत्यु हुई थी, वृद्ध थे, उनके शोक प्रस्ताव को पहले ले लिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : पहले शहीदों का शोक प्रस्ताव लिया जाय, भूतपूर्व गवर्नर साहब वृद्ध थे, सांस कम होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई…

श्री अध्यक्ष : मैं समाप्त ही नहीं कर पाया और आप बीच में बोलने लग गये…

श्री रामचन्द्र आर्य : आप शहीदों से पहले उनको प्राथमिकता देना चाहते हैं, मैं फिर बता देना चाहता हूं उन शहीदों को निर्दयतापूर्वक गोलियों से मारा गया है। वह कौम के लिये शहीद हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं शोक प्रस्तावों को लेकर जो विवाद सदन में खड़ा हुआ है, उस सम्बन्ध में मैं आपसे बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सांगरिया, मादरा और चूरू में जो गोलीकाण्डों की घटनाएं हुई हैं, उनमें जो निरीह लोग मारे गये हैं, सरकार के इस बर्बरतापूर्ण अत्याचार के विरोध में समस्त विरोधी दलों ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। इन गोलीकाण्डों में शहीद हुए शहीदों के प्रति संवेदना प्रकट करने के शोक प्रस्ताव की सूचना सभी विरोधी दलों की ओर से आज दो सवा दो बजे, आपको दे दी गई थी। जैसा कि माननीय रामचन्द्र जी बोल रहे हैं, आप इस प्रस्ताव को प्राथमिकता दें…

श्री अध्यक्ष : मैं प्राथमिकता देता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रश्न को प्राथमिकता दी जाय…

श्री अध्यक्ष : मैं प्राथमिकता देता हूं। एक प्रश्न और है। पहले जो ऐसा प्रस्ताव जयपुर के गोली काण्ड के सम्बन्ध में

Page No 4

(श्री अध्यक्ष)
प्रस्तुत हुआ था, उसमें यह व्यवस्था रखी गई थी कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संवेदना का वह अध्यक्ष की ओर से प्रस्तुत कर दिया गया था, तो यह प्रश्न भी सामने रहे कि पहले की परम्परा को यदि माननीय सदस्य रखना चाहते हैं तो आसन की तरफ से यह प्रस्ताव रख दिया जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी ओर से रखने में हम ज्यादा रुचि नहीं रखते, सदन में इसके सम्बन्ध में शोक व्यक्त करना चाहिए, आसन से, ऐसा प्रस्ताव आये, उपसे ज्यादा खुशी क्या होती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि यह शोक प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत होता है तो बहुत अच्छा है। पर हम समय चाहेंगे कि जो मेम्बर अपनी भावनाएं रखना चाहते हैं उनको समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव जो मेरे सम्मुख प्रस्तुत हुआ, आसन की ओर से मैं अपने भाव रख देता हूं :—

"यह सदन भादरा, सांगरिया एवं चूरू में हुए गोलीकाण्ड के मृतकों के प्रति शोक प्रकट करता है तथा उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता है।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमने तो इस प्रकार का प्रस्ताव आपके पास भेजा था।

"यह सदन भादरा, सांगरिया, चूरू के गोलीकाण्डों तथा गंगानगर जिला किसान आन्दोलन में हुए शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है।"

श्री अध्यक्ष : इसमें विशेष अन्तर नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आन्दोलनों में जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति शोक संवेदना के प्रस्ताव में शहीद शब्द ही एप्रोप्रियेट होता है। उचित है।

श्री अध्यक्ष : शहीदों के प्रति शोक प्रकट करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे शोक प्रस्तावों में 'शहीद' शब्द ही उचित होता है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहीं नहीं बदला, मैंने कोई फरक नहीं रखा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष जी, शोक प्रस्ताव……

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री महोदय !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो शोक प्रस्ताव आसन द्वारा अभी प्रस्तुत किया गया उस प्रस्ताव के समर्थन में मैं इस दल की तरफ से खड़ा हुआ हूं। गोली चले और उसकी वजह से किसी की भी मृत्यु हो, वहां संवेदना के लिये अगर इस सदन में सवाल को लिया जाय तो उसमें किसी को विरोध नहीं हो सकता बल्कि माननीय सदस्य, जो अभिभाषण राज्यपाल द्वारा अभी यहां पर दिया गया है, उसको भी जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहां सम्वेदना प्रकट की गई है। मैं इस बात को अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और सदन के माननीय सदस्यों को यह

Page No 5

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी इस तरफ बैठने वाला व्यक्ति गोली चलाने के सम्बन्ध में अच्छा समझता हो, या उसे उत्साह का अनुभव होता हो, या किसी व्यक्ति की मृत्यु छोड़ कर हताहत भी होता हो, उस बात को हम पसन्द नहीं करते। हमारे दिल में भी उसकी वेदना है और मैं पूरे हृदय के साथ जिन व्यक्तियों की गोली चलाने की वजह से, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी सम्वेदना प्रकट करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, जो गोलीकांड की घटनायें अभी अभी गंगानगर जिले में हुई हैं, वे खेदजनक हैं। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस तरह की जो परम्परा बनती जा रही है, वह शायद एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर वाद-विवाद की गुंजाइश हो। किन्तु एक तरफ तो यह है, अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जो बातें माननीय सदस्य, जो गंगानगर जिले से आए हैं, उनके मुंह से मैंने सुनी है, उनमें से अगर आधी भी बातें सही हैं तो सरकार के लिए यह एक बड़ा भारी कलंक है और लज्जास्पद स्थिति है। मैं समझता था कि देश भर में आज का जो वातावरण है, उससे कदाचित राजस्थान वंचित रहेगा। लेकिन खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि राजस्थान इससे वंचित नहीं रहा बल्कि राजस्थान इस दुर्घटना के द्वारा, यह कहा जा सकता है कि बहुत भद्दी तरह से, हिंसात्मक वातावरण उत्पन्न करने में लिप्त हुआ। सरकार के कर्मचारियों, और पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा, जो बर्बतापूर्ण, खेदपूर्ण, जनता पर अत्याचार किया गया है, उसकी भर्त्सना किये बिना मैं नहीं रह सकता। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस सम्बन्ध में संकेत है और माननीय सदन के नेता ने भी इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह मैं आशा करता हूं कि उनकी अंतरात्मा से वे शब्द निकले होंगे और इसी आशा के साथ मैं यह उम्मीद भी करता हूं कि इस संबंध में वह न्यायोचित साहसपूर्ण कदम उठायेंगे। मैं विशेष इस सम्बन्ध में नहीं कहना चाहूंगा, मुझे जानकारी भी नहीं है। मृत आत्माओं के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अपने दल की ओर से प्रस्तुत करता हूं और जो हताहत हुए हैं, उनके शोकसंतप्त परिवारों के प्रति मेरे और मेरे दल की ओर से हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले का जो किसान आन्दोलन है और उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो दमनकारी रवैया अपनाया है, उस सिलसिले में सदन में अलग से विचार करेंगे और उन आंदोलनकारियों की मांगों, सरकार के दमनकारी रवैया आदि के सम्बन्ध में, इस समय कुछ न कहते हुए, केवल शोक प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसकी सूचना हम विरोधी दलों की तरफ से आपको दी गई और जिसको आसन ने स्वीकार करके एक उदारता दिखाई है, मैं इस सम्बन्ध में इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि 7 मार्च, 1967 के जौहरी बाजार के गोलीकांड के घाव भरे भी नहीं थे, तो 7 जनवरी, 1970 को सांगरिया, भादरा और चूरू में इस किसान आंदोलन को दबाने के लिए, सुखाड़िया सरकार ने पुनः निरीह जनता पर गोलीकांड किया है। मुख्य मंत्री

(श्री सतीशचद्र अग्रवाल)

ने सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाया कि गोलीकांड से वह बहुत दुःखी हैं, गोलीकांड से उनको खुशी नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसी प्रकार का आश्वासन इस सदन में, जिस समय 9 मई, 1967 को जयपुर के जौहरी बाजार में हुए गोलीकांड के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, उस समय दिया था परन्तु हमें इस बात का सख्त अफसोस है कि पिछले ढाई सालों में शायद जितनी गोलीकांड की घटनायें राजस्थान में हुई हैं, उतनी शायद पिछले 15 सालों में नहीं हुई होंगी। इस हकूमत की बुनियाद गोलीकांड पर ही रखी गई है और ऐसा लगता है कि गोलीकांड करने की यह सरकार आदी हो गई है, अन्यथा गोलीकांड के लिए दोषी जिन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, उनके डी. वाई. एस. पी. खुले आम नहीं कह सकते कि मेरे खिलाफ सुखाड़िया सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है, मैंने जौहरी बाजार में गोली चलवाई, मैंने सुखाड़िया सरकार बनवाई है, आज खुले आम सरकार का डी. वाई. एस. पी. इस तरह की बात करे और बच्चों पर गोली चलवाए, यह हमारे लोकतंत्र के लिए लज्जा की बात है, सरकार के लिए इससे ज्यादा लज्जा की बात और नहीं हो सकती इस प्रकार के अध्यादेश जारी करना और जनता के असंतोष को दबाने की चेष्टा करना और उस संबंध में केवल मैजिस्ट्रीयल इन्क्वॉयरी के आदेश देना, मैं समझता हूं, लोगों की आखों में धूल झोंकने का प्रयास है और इस संबंध में जिस समय शोक प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं, गोलीकांड की जांच के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त किया जाय। हालांकि हमें कटु अनुभव है कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट के सिलसिले में जो राज्य सरकार ने रवैया अपनाया, वह रवैया आगे नहीं अपनाएगी। राज्य सरकार और विरोधी दलों को समझना चाहिए कि यदि बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर इम्पलीमेंटेशन हो गया होता, दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होती तो राजस्थान में पुलिस अधिकारियों का हौसला कभी इतना बुलन्द नहीं होता कि वे मासूमों की जानों पर गोली चलाते। इस प्रकार की जांच किया जाना नितांत आवश्यक है। वहां के बहादुर काश्तकारों और छात्रों की मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलन पिछले 70 दिनों से चलाया जा रहा था। राज्य विधान सभा का अधिवेशन 15 जनवरी को हो रहा था और आंदोलन को दबाने के लिए राज्य सरकार ने गुप्त आदेश जारी किए कि 10 जनवरी तक आंदोलन को दबाना चाहिए, इस प्रकार से जो निर्देश दिए गए, उनकी भारी भर्त्सना की जानी चाहिए इस अवसर पर मैं सारे शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, मैं अपनी ओर से और मेरे दल की ओर से और विशेषकर 5 व्यक्ति सत्याग्रहियों के प्रति जो जेलों में, सरकार की लापरवाही और उपेक्षा के कारण मौत के शिकार हो गए। इस प्रकार 5 व्यक्ति जोधपुर और बीकानेर जेलों में मर गए, मृत व्यक्तियों की संख्या का पता नहीं निश्चित रूप से, सरकार ने 11 बताए लोग 31 कहते हैं। आज राजस्थान में कानून और शांति-व्यवस्था समाप्त हो गई है और सब का दोष गृहमंत्री पर तो है ही लेकिन राज्य के मुख्य मंत्री, जो शासन चला रहे हैं और आए दिन. इस बात का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदन में आश्वासन देते हैं कि आगे गोली-कांड नहीं होगा, उनके मन में दुख है, हृदय पर वजन है, धोखाधड़ी छोड़कर राजस्थान की ढाई करोड़ जनता, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, उनकी प्रगति के लिए कोई कार्यवाही करके फिर कदम उठायें तो ज्यादा अच्छा होगा। केवल इन्हीं शब्दों के साथ मैं शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, सांगरिया, भादरा और चूरू में जो गोलीकांड हुआ, वह सरकार के लिए बहुत ही लज्जा की बात है। अहिंसा में विश्वास करने वाली कांग्रेस सरकार इस प्रकार सत्याग्रहियों पर गोली चलाए, यह शोभा की बात नहीं हो सकती। किसी भी प्रजातान्त्रिक सरकार के लिए लज्जा की बात है और इसके लिए मुख्य मंत्री का संवेदना प्रकट करना पर्याप्त नहीं है। जो गरीब किसान और विद्यार्थी गोलीकांड से मर गए उनकी जानें तो चली गई वह महज संवेदना प्रकट करने से नहीं आ सकती और न इस बात की गारन्टी है कि आयन्दा भी यह कार्यवाही बन्द हो जावेगी। जौहरी बाजार में जो हत्याकांड हुआ उसके संबंध में इन्क्वायरी होने पर इस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और हाईकोर्ट जज की रिपोर्ट भी खत्ते में पड़ी हुई है। इससे अधिक लज्जा की क्या बात हो सकती है। इस सरकार में मेरा कतई विश्वास नहीं है। यह सरकार जो भी बात कहती है उसके खिलाफ आचरण करती है। लज्जा की बात तो यह है कि गांधी शताब्दी वर्ष में इस प्रकार के हत्याकांड होते हैं और श्रद्धांजलियां अर्पित करके घर चले जाते हैं। हमारे कांग्रेसी भाइयों को सोचना चाहिये कि इस प्रकार के हत्याकांड करने वाली यह सरकार कैसे टिकेगी। जो गोलीकांड में व्यक्ति मारे गये हैं और जो जेलों में अव्यवस्था के कारण मारे गये हैं और जिन विद्यार्थियों ने अपनी जानें दे दी हैं उनके प्रति अपनी ओर से और अपने दल की ओर से मैं श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में भादरा, सांगरिया और उसके बाद पड़ोसी जिले चूरू में परसों जो बर्बर काण्ड हुआ जिनमें शहीदों की संख्या कितनी है वह आज हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते। जेलों में, जो लोग बीकानेर जेल में, जोधपुर जेल में और अन्य जगहों पर जेलों में जिनकी पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है, जो शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करने के लिए हम खड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने भी इन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित की है और इनमें जो गोलीकाण्ड के शिकार हुए हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट की है। मैं समझता हूं इससे बड़ी हिपोक्रेसी हो नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, आज जो यह गोलीकाण्ड हुए क्या ये आकस्मिक घटनायें हो गयीं या कुछ पुलिस अधिकारियों ने सरकार की नीति के खिलाफ, सरकार के आदेशों के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही की? या यह आकस्मिक रूप से इस प्रकार की घटनायें हो गयीं?

गंगानगर जिले का आन्दोलन, अध्यक्ष महोदय, 3 नवम्बर, 69 से जब से नीलामी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुई थी, शुरू हुई थी। सरकार ने शुरू में ही दमन का रास्ता अपनाया। 3 तारीख को भूतपूर्व विधायक साथी योगेन्द्रनाथ हांडा और दूसरे लोगों के साथ जबरदस्त लाठी चार्ज किया गया और उनके सिर फोड़े गये और इस हद तक मारपीट की गई कि जो काफी घातक हो सकती थी। अध्यक्ष महोदय, 7 तारीख को उस अध्यादेश को जारी करने के चार दिन के बाद सरकार को गोली का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह गोलीकाण्ड आकस्मिक नहीं है, सरकार के द्वारा जनता की उठती हुई मांगों को मीट न कर सकने के कारण और अपनी नीतियों के कारण और फिर उस बढते हुए तूफान को अपने दमनकारी दस्तों के जरिये, अपनी पुलिस और उसकी लाठी और गोलियों के जरिये दबाने का रास्ता अपनाने के कारण ये सारी दर्दनाक घटनायें हमारे प्रान्त में घटी हैं और ये उसके फलस्वरूप मृत्युएं हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त में जनता ने टैक्सेशन के खिलाफ और अन्य कदमों के खिलाफ आन्दोलन किये हैं। इस गंगानगर जिले में बेटरमैन्ट लेवी के खिलाफ जबरदस्त आन्दोलन हुए हैं जिसमें हजारों लोग जेल में गये हैं उस समय भी सरकार ने अपने आपको इस प्रकार से अध्यादेशों के जरिये और पावर्स के बजरिये शक्तिशाली नहीं किया जो इस प्रकार से लोगों को दबाने के लिये हों। यह हिन्दुस्तान की आजादी के इतिहास में, राजस्थान की आजादी के इतिहास के बाद पहला कदम था सरकार की ओर से ऐसा अध्यादेश निकाल कर इस तरह बढ़े हुए टैक्सों की खिलाफत करने में सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया और उसकी अपनी गल्ती के कारण कोई उसको अध्यादेश स्थगित करने के लिये मजबूर न करे जो उनको न दे उनको एक साल की सजा और एक हजार का जुर्माना होगा, इस तरह का कानून निकाल कर जो शान्त आन्दोलन चल रहा था उस पर सरकार ने घी छिड़कने का काम किया। गंगानगर जिले के बहादुर किसानों ने इसको "चुनौती" समझकर स्वीकार किया कि यह सरकार उनको दबाना चाहती है। सैंकड़ों किसानों को एक एक साल की जेल की सजा दी गई और एक एक हजार के जुर्माने किये गये और उनको क्या क्या यातनायें दी गई उसके सम्बन्ध में अलग प्रस्ताव आवेगा जब निवेदन करूंगा। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऑर्डिनेन्स इस सारी स्थिति का कारण है जिसके कारण सरकार ने लोगों को ललकारा है कि तुम आन्दोलन को बन्द करो वरना ऑर्डिनेन्स के जरिये तुमको कुचल दिया जावेगा और जब ऑर्डिनेन्स की परवाह न करते हुए लोग सत्याग्रह में आये तो उन सत्याग्रहियों को गोलियों से भूनकर अपनी प्यास मिटायी। सवाल यह है कि यह ऑर्डिनेन्स क्यों निकाला गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैं थोडी सी सीमा निवेदन करना चाहता हूं। मैंने जैसा निवेदन किया कि एक एडजोर्नमैंट मोशन मेरे सम्मुख प्रस्तुत है संभवतः माननीय सदस्य को कल उस पर भी बोलना पड़े। मैं समझता हूं यह पुनरावृत्ति होगी आपके लिये। शोक संकल्प पर जितनी सीमा में बोल सकें उतना अच्छा होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस सीमा को मैं महसूस करता हूं और रखने की कोशिश

Page No 9

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी कर रहा हूं। परन्तु आज जो सारे इस कांण्ड के दोषी हैं वे चुपके से उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करके निकल जाना चाहते हैं जनता में अपने आपकी सहानुभूति प्रकट करने की बात कह कर कि वे इस काण्ड से दुखी हैं। पोलिटिकली ईमानदार हैं मुख्य मंत्री जी तो उनको कहना चाहिये कि हम इस आन्दोलन के खिलाफ हैं, इस तरह का आन्दोलन करेंगे और इस तरह वसूलियों को रोकेंगे तो हम ताकत से दबायेंगे और जो कान्सीक्वेन्सेज होते हैं उनको फेस करेंगे। सही तरीका, पोलिटिकल ईमानदारी मुख्य मंत्री जी, यह होती कि आप यह कहते कि हमने अपने हुक्म से पुलिस को यह कहा कि चाहे जो रास्ता अपनाना है इसको कुचलना है, लोगों को गोली से उड़ाना है लेकिन आप यहां कहते हैं कि हमें दुख है और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, मैं समझता हूं, इससे बड़ा राजनैतिक झूठ, इससे बड़ी हिप्रोक्रेसी और कोई हो नहीं सकती।

आज अगर वास्तव में मुख्य मंत्री महोदय को दुख होता, वास्तव में वे श्रद्धान्जलि अर्पित करना चाहते हैं तो वह एक ही तरीके से श्रद्धान्जलि हो सकती है वह यह कि आप इस पद से स्तीफा दे देते क्योंकि जनता के दुख दर्द दूर करने में आप नाकामयाब रहे हैं, आप प्रशासन को जनता के हित में चलाने में असफल रहे हैं इस कारण आपको स्तीफा दे देना चाहिये यही एक रास्ता है आपके द्वारा इन शहीदों के प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करने का।

लालबहादुर शास्त्री ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रेलवे में हुई समान्य दुर्घटना के कारण अपने पद से स्तीफा दिया, उन्होंने उसकी सीधी जिम्मेवारी अपनी समझी। आप राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं आपके शासन में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाय, गृह मंत्री जी जिनका सीधा सम्बन्ध पुलिस वालों से है वे आज यहां दूरदर्शी बनकर उनके प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करते हैं और अपने आपको बड़ा दुखी अनुभव करते हैं, वह केवल इसलिये कि इस सारी जिम्मेदारी से किसी प्रकार से बच निकल जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा यह दुरुस्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज जनता के सामने एक स्पष्ट सवाल है, इतना ही नहीं मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी यह विचार करते होंगे कि इस प्रकार से गोलीकाण्ड करके अभी जो युवा वर्ग में नया उत्साह का संचार हुआ है प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गांधी के साहस पूर्ण कदमों से, उन्होंने जो बम्बई अधिवेशन में महत्वपूर्ण घोषणायें की, समाजवादी घोषणायें मैं समझता हूं हमारे मुख्य मन्त्री ने उन समाजवादी घोषणाओं पर गोली मारी है। यह इनका राजनैतिक चित्र है जो स्पष्ट रूप से सामने आया है। जो राष्ट्रपति के चुनाव में श्री गिरी के विरोध में सिण्डीकेट के साथ में रहे। आज चाहे जिन्होंने रंग बदल लिया है लेकिन जिस प्रकार की नीतियां वे अपना रहे हैं वह स्पष्ट बताती है कि उनका झुकाव अभी तक सिण्डीकेट की नितियों के अनुकूल है। उन्होंने अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिये ही यह रंग बदला है और अपने को इण्डीकेट समर्थक बताया है। मैं कांग्रेस जनों से कहना चाहूंगा कि अगर वे ईमानदारी से समाजवाद में विश्वास रखते हैं तो वे इन कारनामों की भर्त्सना करें।

Page No 10

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(अश्रव्य)

आज मुख्य मन्त्री महोदय उन गोली से मरने वालों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं जैसे वे वास्तव में बहुत दुखी हों। यह केवल राजनैतिक हिपोक्रेसी के अलावा और कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को विवादास्पद नहीं बनायें। यह संवेदना का प्रश्न है अतः आप इसे बिना विवाद के ही निपटा दें।

इस संबन्ध में एक एडजोर्नमैन्ट मोशन मेरे सामने है आप उस पर अपने विचार अच्छी तरह से प्रकट कर सकेंगे इस प्रश्न को विवाद का रूप न बनाकर केवल संवेदना के रूप में ही इसको लें।

श्री रामान्द अग्रवाल : मैं इस बात का बहुत प्रयत्न करते हुये भी कहे बिना नहीं रह सकता कि यह प्रश्न ऐसा है जो विवाद का विषय है वह भी सरकार की गलत नीतियों के कारण है वे इस सारे काण्ड के जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! आप इस प्रश्न को संवेदना के तौर पर लेकर ही समाप्त कर दें। आपको इस पर विस्तार रूप से कहने का अवसर मिलेगा।

श्री रामान्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि जो इस प्रकार की गंभीर घटनायें हुई हैं जिसके लिये यह सारा सदन संवेदना प्रकट कर रहा है, हमें इन घटनाओं के पीछे क्या चीज है इसकी तह में संजीदगी से जाना चाहिये। इसमें प्रशासनिक नीतियों का सवाल जुड़ा हुआ है उन्हीं के कारण ये सारी घटनायें हुई है। हम इस बारे में गम्भीरता से विचार करके ये आगे न होने पावें, इस पर रोक लग सके, इस पर सोचना चाहिये। वेरी आयोग के समय जिस प्रकार की बातें हुई उसके अनुसार कार्यवाही नहीं करने के कारण ही ये घटनायें पुनः हुई। इन्हीं शब्दों के साथ इस गोलीकाण्ड में और सरकार की लापरवाही के कारण जिन लोगों की जेलों में मृत्यु हुई है उनके प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रोफेसर केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष जी, यह आन्दोलन किसी व्यक्ति की खिलाफत करने की भावना से प्रेरित आन्दोलन नहीं है। यह आन्दोलन अपने इलाके की मांगों को लेकर जो उस इलाके के विकास से संबन्धित हैं उनको लेकर इस आन्दोलन की शुरूआत हुई है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अध्यादेश के जारी होने के बाद इन मास रेंक एण्ड फाइल की गिरफ्तारी के बाद लगातार एक जनवरी से पांच तक हजारों आदमियों के अपने आप गिरफ्तारी के लिये पेश करते रहने के कारण और उनको न पकड़ने के कारण और ट्रकों में बिठाकर ऐसी भयंकर सर्दी के अन्दर उन लोगों को तीस तीस और चालीस चालीस मील की दूरी पर छोड़ दिये जाने के कारण इस आन्दोलन ने और उग्र रूप धारण कर

(श्री केदारनाथ)

लिया। जहां आन्दोलनकारियों को इस प्रकार जंगलों में छोड़ देने के कारण जो तकलीफें उठानी पड़ी हैं वह भी इस आन्दोलन को तीव्र बनने का कारण हुई हैं और लोगों ने अपने आपको गिरफतारी के लिये हजारों की संख्या में पेश किया। इसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय, इतना शान्त आन्दोलन होते हुए, सात तारीख को सरकार ने उन पर गोली चला दी भादरा, संगरिया में बारह और एक बजे के बीच और ठीक तीन बजे 144 की धारा को हमारे सत्याग्रहियों ने शान्तिपूर्ण तरीके से, ढोल बजाते हुए तोड़ा था न उनमें किसी प्रकार की उग्रता थी, न उत्तेजना का कोई वातावरण ही था। हमने जिस प्रकार से अपनी मर्यादा में यह आन्दोलन चलाया उस मर्यादा को हमने हमेशा निभाया, उसको नहीं तोड़ा हमने आन्दोलन की शुरूआत में जो प्रतिज्ञा की थी उसको हमने आज तक निभाये रखा हमने जनता को यह कहा कि कितनी ही उत्तेजना का वातावरण हो, पुलिस वाले इसको उत्तेजक बनाने की कोशिश करेंगे चाहे पुलिस वाले लाठियां चलायें, अश्रु गैस चलायें, गोलियां चलायें, लाठी चलायें हमने जो प्रतिज्ञा की है उसको किसी प्रकार भी न छोड़ा जाय। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता और खुशी है कि वहां की जनता ने इस प्रतिज्ञा को पूरी तौर से निभाया।

अध्यक्ष महोदय, मांगें चाहे कितनी ही गौण हों हमने मांगों को अपने सामने गौण रूप दिया है लेकिन जिस बुनियाद पर यह आन्दोलन चल रहा है, यह युवकों की जागृति का आन्दोलन है, यह न किसी व्यक्ति के खिलाफ है और न किसी एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया हुआ आन्दोलन है यह जन जागृति का आन्दोलन है।

अध्यक्ष महोदय, इस जन जागृति के आन्दोलन में बच्चे, बूढ़े और जवानों ने सब ने योग दिया है घायलों में सभी प्रकार के लोग हैं। आज भी सरकार को गलतफहमी है तो मैं मिटा देना चाहता हूं। यह आन्दोलन वैसा ही आन्दोलन है जैसा राजाओं के जमाने में हुआ करता था, अंग्रेजों के समय में उनके खिलाफ बगावत का जिस प्रकार का आन्दोलन हुआ करता था उसी तरह का यह भी आन्दोलन है। चाहे आप गोली चलायें, लाठियां बरसायें, यह भूखी और निरीह जनता का आन्दोलन है, उनकी सही मांगों को लेकर शुरू हुआ है और जब तक उनकी मांगें मन्जूर नहीं होती तब तक यह आन्दोलन समाप्त नहीं होगा यह मैं सरकार को कह देना चाहता हूं।

सरकारी आंकड़ों के तौर पर मृतकों की संख्या 11 बतायी गयी है लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है मृतकों की संख्या 15 और 20 के बीच है इस बारे में वक्त मिलेगा उस समय मैं इस पर प्रकाश डालूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक समझ पाया हूं इस घटना के पीछे प्री-डिटरमिनेशन था, प्री-प्लानिंग था। जिस तरीके से अन प्रोवोक्ड, अन वॉरन्टेड फायरिंग हुआ। 7 तारीख को संगरिया, भादरा में और साथ ही तारीख को करणपुर में लाठी चार्ज हुआ और 13 तारीख को चूरू में गोलीकाण्ड हुआ। जब वक्त मिलेगा तब विस्तार से इस पर प्रकाश डालूंगा। अगर हमारी

(श्री केदारनाथ)

आज की सरकार इस पालिसी को सामने रखकर चलती है कि गोली से इस जन आन्दोलन को कुचल सकते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि नक्सलवादी जब ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको आलोचना करने का अधिकार नहीं है। वह भी किसी न किसी वर्ग संघर्ष की तारीफ में आता है। इस ढंग से फायरिंग करना 310 के दायरे में एक मील के दायरे में, जहां कोई कोर्ट नहीं खुले मैदान में फायरिंग किया गया जिसमें दस ग्यारह साल के बच्चे को भूनकर फेंक दिया गया। हमें इस बात का खतरा था फिर भी हमने सोचा हम जब शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन कर रहे हैं, किसी तरह का तनाव नहीं है, यह हत्याकाण्ड नहीं होगा लेकिन वह हमारा भरोसा सही नहीं निकला।

मैं अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सदन से अपील करता हूं कि आप इस मामले को गम्भीरता से लें 302 का मामला बनाकर पकड़ लें 304 में मुकदमा दायर कर दें इसमें ट्रकों के ड्राइवर्स गाडियों के ड्राइवर्स इनको माल देते हैं। आप चाहते हैं कि इस सत्याग्रह में आदमियों की बलि हो इसी को आप गौरव मानते हैं तो इस आन्दोलन ने अपने शहीद दिये हैं। इस प्रकार आप चाहते हैं कि यह आन्दोलन हिंसा से प्रेरित हो। धारा 302 के अन्तर्गत आप चालान करें तो आपको मालूम पड़ जायगा। उसके बाद जुडिशियल इन्क्वायरी करें। इस आन्दोलन के पीछे कितना जनता में जोश है यह तो आप जेलों के अन्दर जाकर देखिये। आज हालत यह है कि बीकानेर और जोधपुर की जेलों में हमारे साथी बिना दवा दारू के मारे गये, मैं समझता हूं ये आंकड़े जो सरकार द्वारा दिये गये हैं वे गलत हैं। अगर सरकार हमारी सियासी की परीक्षा लेने को ही उतारू है तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यह समय है, आप यह भरोसा न करें कि हमारी प्रेटनिंग से यह आन्दोलन कुचल दिया जायगा, इस भरोसे में आप न रहें। मैं एक वहां के साधारण नागरिक के नाते और इस आॅगस्ट हाउस के मेम्बर के नाते सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है आप वहां के नागरिकों की जो मांगे हैं, उनको मन्जूर करें।

आज मैं विरोधी दलों के माननीय सदस्यों को भी निवेदन कर देना चाहता हूं यह वक्त आया है, जो जन जागृति हमारे प्रान्त में आयी है, जो सोशलिज्म और सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं उनको चाहिये कि इस जन जागृति का फायदा उठायें। आज जो इन्दिराजी ने देश को नयी दिशा दी है जिस पर इन्दिराजी इमारत खड़ी करना चाहती हैं, हमारे सुखाड़िया जी उसी इमारत को बारूद लगाकर मिटाना चाहते हैं। इस बारे में उनको निराशा का ही मुंह देखना पड़ेगा।

अन्त में मैं एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं इस आन्दोलन में सत्तर फीसदी नवजवानों ने हिस्सा लिया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है आज किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जेल ऐसी नहीं है जहां हमारे सत्याग्रही पहुंचे नहीं हों। हर इलाके की जेलों में हमारे सत्याग्रही पहुंच गये हैं। आज भी 200 आदमी भीलवाड़े में पड़े हुए हैं जो यहां से पकड़े जाते हैं उस रोज भूखे रहते हैं दूसरे रोज भूखे रहते हैं और जेल में पहुंचने पर भी जैसा वहां का हिसाब है यह किसी से छिपा

(श्री केदारनाथ)

नहीं है। मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं अगर वे यही चाहते हैं कि उनको वहां के जन आन्दोलन का सबूत मिले तो मैं कह देना चाहता हूं कि हमें आप जेल में रख दें उसके बावजूद भी पचास हजार आदमी हम आपको जेलों के अन्दर भरने के लिये दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं, हमने जो प्रतिज्ञा की है कि चाहे कितनी ही उत्तेजना हो, चाहे आपकी तरफ से कितनी ही भड़काने वाली हरकतें हों हम अपने धैर्य को नहीं छोड़ेंगे और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो व्यक्ति इस आन्दोलन में शहीद हुए हैं उनके प्रति हार्दिक संवेदना प्रगट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, जिन पुलिस वालों ने गोली चलाई। उनके ही लड़के इन गोलियों के शहीद होते या मरे होते तो उनको पता पड़ता कि पुत्रों की दाह कैसी होती है। जब बेरी कमीशन की रिपोर्ट आई उस पर तुरन्त अमल हो गया होता तो आज यह स्थिति नहीं पैदा होती कि बिना आदेश के ही गोलियां चला देते।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत यह निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमन्त्री जी से कि कृपा करके इस मामले की न्यायिक जांच करवाएं और इस पर तुरन्त जो फैसला हो उस पर तुरन्त अमल करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो पुलिस वाले रात दिन रिश्वतें खाते हैं और लोगों को लूटते हैं उनको सबक मिलना चाहिए। उनकी इन बुरी आदतों को दूर करने, उनकी आज की रिश्वत में गाफिल हालत को ठीक करने का कोई मार्ग है तो न्यायिक जांच के द्वारा फैसला हो उस पर अमल किया जावे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनायें करने का उनका दुस्साहस न हो।

मैं इतना ही कहते हुए, उन लोगों का जिनके परिवार के सदस्य मरे हैं उनको सान्त्वना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको ऐसा बल दे भगवान कि वे इस सदमें को सहन कर सकें। बस, इन्हीं शब्दों के साथ उन शहीदों को श्रद्धान्जलि अर्पित करते हुए बैठना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मास्टर आदित्येन्द्रजी। किस दल की ओर से आप बोलेंगे।

श्री आदित्येन्द्र (डीग): अपने भाषण में बतला दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : ये अब सुखाड़िया जी का स्थान लेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): बता दिया कि वे अपने भाषण में जिक्र कर देंगे।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भादरा सांगरिया और चूरू में जो निरीह जनता पर गोलीकाण्ड हुआ उनमें जो व्यक्ति मारे गए उनके प्रति संवेदना प्रस्ताव रखा गया है। मैं भी उसके समर्थन में दो शब्द कहना चाहता हूं।

मैं यह नहीं समझता था कि जयपुर में हुए गोली काण्ड के थोड़े दिनों के बाद ही इतने बड़े पैमाने पर राजस्थान के दूसरे और

(श्री आदित्येन्द्र)
हिस्सों में इतना भयंकर गोलीकाण्ड होगा और मैं यह कभी भी आशा नहीं करता था कि राजस्थान सरकार की ओर से दुबारा इतनी भयंकर गलती और भूल होगी।

आज चारों ओर हम यह देखते हैं कि हिंसा का वातावरण व्याप्त है। जनता हिंसा पर उतारू है। लेकिन जब कि यहां पर, अखबारों के जरिये इस प्रकार की खबरें मिलती रहीं कि आन्दोलन बड़ी शान्ति से चल रहा है, तब सब लोग यह समझते थे कि इस आन्दोलन में सफलता मिलेगी। लेकिन एक-दम ऐसी खबर सुनने को मिली कि इन जगहों पर गोलीकाण्ड हुए। जिनमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। मैं अभी तक यह नहीं कह सकता कि कितने और ज्यादा व्यक्ति मारे गए, जैसा कि अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने, माननीय सदस्य ने, यहां बतलाया कि वे यह बतावेंगे कि इससे और ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। लेकिन यह वास्तव में बड़े दुःख की बात है।

मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा जो इस सम्बन्ध में संवेदना व्यक्त की गई है, वह पर्याप्त नहीं है। यदि वे वास्तव में ऐसा महसूस करते हैं कि यह गलती हुई और उनको इसका दुःख है तो उन्हें इसके ऊपर अच्छी तरह से मनन करना चाहिए क्योंकि यह चीज उन्हीं के लिए अत्यन्त आवश्यक है। उन्हीं की सरकार के स्थायित्व के लिए बड़ी जरूरी है।

अभी जो रोजाना यह सुनने को मिलता है कि देश में कहीं न कहीं गोलीकाण्ड की घटना हो जाती है, यहां भी हो जाती है, इसकी पुनरावृत्ति न हो, मैं तो यह चाहता हूं, लेकिन पुनरावृत्ति फिर होगी। जब तक कि उस मौलिक बात की तरफ ध्यान नहीं दिया जावेगा कि जनता क्या चाहती है और सरकार क्या करती है उसके विपरीत जनता की मांग है कि वहां पर जमीनों की नीलामी न की जावे और मैं समझता हूं कि आज की समाजवादी व्यवस्था में वास्तव में और हम समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और जल्दी करना चाहते हैं तो जो जनता की मांग है उसको हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए।

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

हमें इस प्रकार से पैसे के लालच में नहीं रहना चाहिए। हम यह न समझें कि इससे कोई हमारा खजाना भर जावेगा। यह रुपया इस तरह से त्याज्य समझना चाहिए।

इतना कहकर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह और सूचित कर दूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी बोल रहा हूं और यह भी है कि एक पार्टी की ओर से भी बोल रहा हूं। वैसे संयुक्त समाजवादी पार्टी में मैं था और इस बात का मुझे दुःख भी है कि मैं उस पार्टी से बाहर आ गया। लेकिन मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद अपनी अन्तरात्मा की प्रेरणा से ही यह किया है और अखिल भारतीय कांग्रेस का जो संगठन का स्वरूप है उसको मैंने ज्वाइन किया है।

मैं, और शब्द ज्यादा न कह कर, जो मृत व्यक्ति हैं उनके लिए शोक प्रदर्शित करता हूं और उनके जो शोक सन्तप्त परिवार हैं, उनके लिए संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : अध्यक्ष जी,

(श्री रामचन्द्र आर्य के बोलने के लिए खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति मुझे प्राप्त हुई है और मैं दो कविता के रूप में पंक्तियां शोक प्रस्ताव पर रखता हूं।

शोक शोक अतिशोक,
रोक जालिम गोली को,
अब तक कितनी बार,
मारे जनता भोली को। [1]
श्रेय नहीं यह दमन नीति
ही कहलायेगी,
इतिहासों की दिव्य,
दृष्टि यह बतलावेगी। [2]
साहनुभूति के शब्द
नहीं जीवन देने के
नौका में कर छेद,
ढोंग मत कर खेने के। [3]
श्रद्धा उनके साथ
प्राण जिनने त्यागे हैं
सरल सुमतिमग देख
अभी जीवन आगे है। [4]

अन्तिम है:—

आसन का प्रस्ताव
दुशासन क्या मानेगा
इसे सुशासन लोभ
न यह पर दुख जानेगा। [5]

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): अध्यक्ष महोदय, हमारे शहीदों के प्रति जो आसन की ओर से उदारता दिखाई गई है, इसके लिये मैं आसन का आभारी हूं। मुझ से कहा नहीं जाता कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई..........

श्री अध्यक्ष: मैं..........

(श्री रामचन्द्र आर्य के बोलते रहने पर)

मैं, समय बढ़ा रहा हूं माननीय राम चन्द्र जी। मैं दूसरा शोक प्रस्ताव समाप्त हो तब तक के लिये सदन की अनुमति से सदन का समय बढ़ाता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार की घटना जलियांवाला बाग में भी नहीं हुई थी। जिस तरह का मैंने दृश्य यहां देखा। कोई भी आदमी वहां खड़ा नहीं रह सकता। किस तरह से डी० एस. पी. डालचन्द ने और थानेदारों ने उनको मारा इन लोगों को रात को ही जलाया गया। इसको हम कभी भूल नहीं सकेंगे। इसी तरह आज राजस्थान की अनेक जेलों में, मैं समझता हूं करीब 20 जेलों में हमारे 5000 आदमी मौजूद हैं। आज सुबह से हमारे 58 आदमी जयपुर स्टेशन पर पड़े हुये हैं। उनके साथ एक हवलदार और एक सिपाही है। उनके पास खाने को खर्चा नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं। क्या वे शहीद नहीं होंगे? इस प्रकार जिनकी मृत्यु होती है और इस तरह चल रहे शान्तिपूर्वक आन्दोलन को यह सरकार कहे कि उग्र भीड़ को हटाने के लिये गोली चलाई, वह सरासर झूठ है। यदि मुख्य मंत्री जी ने सही दिल से यह बात कही है और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो उन जालिम लोगों के खिलाफ 302 के मुकदमें बनायें और न्यायिक जांच करावें। वैसे हम उन लोगों का ऋण नहीं चुका सकेंगे। इतने दिनों बाद भी कोई घटना नहीं घटी लेकिन फिर भी जो उन क्रूर व्यक्तियों ने हमारे निर्दोष आदमियों को, निर्दोष बच्चों को मारा है, उन लोगों के बारे में भाषण नहीं करना

(श्री रामचन्द्र आर्य)

चाहता हूं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्वर, हे ईश्वर इस प्रकार की क्रूरता करने वाली सरकार को दण्ड मिलना चाहिये, यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी क्योंकि वे जिस मिशन को लेकर चले थे, उनका मिशन उस दिन जिस दिन उनको सजायें मिलेंगी पूरा होगा। किसी आदमी को यह अधिकार नहीं है कि किसी का जीवन लेले। सरकार सजा दे सकती है लेकिन उनको जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। उनके परिवार वालों से पूछिये उन लाशों को रात को 11 बजे से लेकर 4 बजे तक उनको जलाया गया। मैंने स्वयं ने सांगरिया और मादरा की शमशान भूमि की उस जगह को देखा है। चार बजे तक लाशा जलती रही हैं। आज भी मैं देखकर आया हूं उनका परिवार इतना शोक संतप्त है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं आज अधिक न कहते हुये जो स्थगन प्रस्ताव आयगा उस समय सारी बातें डिटेल में कहूंगा। मेरी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस कौम के लिये किसान वर्ग के लिये जिन लोगों ने अपना खून दिया है उन लोगों को ईश्वर शान्ति प्रदान करे, उनके परिवार को शान्ति मिले और जो वे मिशन लेकर चले है उनका ऐम पूरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट का मौन लेकर उनके परिवार वालों के लिये सुख और शान्ति की प्रार्थना करें।

एक माननोय सदस्य: अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष: मैं दो मिनट के मौन के लिये कह रहा हूं।

(माननीय सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखा)।

स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सरदार श्री गुरमुख-निहालसिंह का शोक प्रकट तो माननीय सदस्य करेंगे लेकिन मैं जानकारी के लिये पूछना चाहता हूं कि राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अब्दुल शकूर के सम्बन्ध में भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाय उनका निधन भी, हुआ है। वे राजस्थान की ओर से राज्य सभा के सदस्य थे। मैं समझता हूं इस तरह का उनके लिये भी शोक प्रस्ताव आना चाहिये। आज के कार्यक्रम में उनका शोक प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अब दे दीजिये। मैं ले लेता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:······ऐसी मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष: सदन के नेता महोदय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के माननीय सदस्यों को मालूम है, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल महोदय सरदार गुरमुख निहालसिंह का देहावसान हो गया। वे राजस्थान में सन् 56 से लेकर 62 तक राज्यपाल रहे और उसके पहले दिल्ली में स्पीकर के तौर पर और मुख्य मन्त्री के तौर पर उनने काम किया था। उनके राज्य-काल के जमाने में, उनके राज्यपाल के समय में मुझे उनके निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला था,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और जो उनका विद्वत्ता पूर्ण अनुभव था उसका लाभ काफी अर्से तक राजस्थान को प्राप्त हुआ है उनके निधन से भारत में एक विद्वान, एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति, सूझ-बूझ वाले व्यक्ति को खोया है। मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी अजमेर के मौलाना अब्दुलशकूर काफी अर्से तक राज्य सभा के राजस्थान की तरफ से सदस्य रहे हैं। वे राष्ट्रवादी विचारों के व्यक्ति थे और जन-आन्दोलन में चाहे अवसर आया हो, चाहे उसके अलावा उनके सामने कोई अवसर आया हो, उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर कार्यवाही की है। दुर्भाग्य से काफी दिक्कतों में, कहना चाहिये, पिछले दिनों उनका भी देहावसान होगया इस प्रकार एक राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति को हमने खोया है। मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से तथा मेरी ओर से इस प्रस्ताव का सआदर समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दोनों दिवंगत आत्माओं को सुख, शान्ति मिले तथा दोनों दिवंगत महानुभावों के शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से हार्दिक संवेदना तथा सहानुभूति प्रकट करता हूं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं जैसा अभी माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी ने मौलाना अब्दुलशकूर का जिक्र किया है इसी तरह लोक सभा सदस्य जो हमारे राजस्थान से चुने हुये थे और मथुरा से चुनकर जाते थे और बाद में वे भरतपुर से चुनकर गये उनका भी देहावसान हुआ है। उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव में……

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं समझता हूं उनका नाम भी प्रस्ताव में रख लिया जाय। वे पहले मथुरा से और बाद में भरतपुर से चुने गये थे। उनके लिये और उनके परिवार के लिये हम संवेदना प्रकट करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं माननीय सदन के नेता महोदय की भावना का समर्थन करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री गुरमुखनिहालसिंह जी के सम्बन्ध में और राजस्थान के लिए राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य स्वर्गीय श्री मौलाना अब्दुलशकूर साहब तथा भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित भूतपूर्व संसद सदस्य राजा श्री गिर्राजशरणसिंह के सम्बन्ध में जो शोक प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष जी, सन् 1957 से लेकर 1962 तक श्री गुरमुख निहालसिंह राजस्थान के राज्यपाल रहे। मैं उस समय भी सदन का सदस्य था। उसके पश्चात् सन् 1962 से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लेकर 1967 तक स्वर्गीय श्री सम्पूर्णानन्द जी राजस्थान के राज्यपाल रहे। अध्यक्ष महोदय श्री गुरमुखनिहालसिंहजी ने राजस्थान में जो कुछ भी किया उन सब बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है वह एक वृद्ध सज्जन थे, अनेक वरिष्ठ पदों पर उन्होंने काम किया। वह प्राध्यापक भी रहे, मुख्य मंत्री भी रहे और इस राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। उनके कार्यकाल में ऐसी कोई घटनायें नहीं हुई जिनका विरोध करने का अवसर उस समय या आज विशेष रूप से हो और खासतौर से उनके बाद के घटनाक्रमों ने तो उनकी याद ताजा कर दी और उनके सम्मान को और भी ऊंचा उठा दिया। इसलिए मैं अधिक नहीं कहते हुए श्री गुरमुखनिहालसिंहजी के प्रति अपनी श्रध्दांजलि अर्पित करता हूं और इसी प्रकार राज्य सभा के सदस्य मौलाना अब्दुलशकूर के प्रति भी अपने दल की ओर से श्रध्दांजलि समर्पित करता हूं और उसी प्रकार से भरतपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित भूतपूर्व संसद सदस्य राजा गिर्राजशरणसिंह को भी अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूं।

अध्क्षय महोदय, केवल इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इन तीनों दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख को बरदाश्त करने करने की शक्ति प्रदान करे।

स्वर्गीय श्री गुरमुखनिहालसिंहजी जब काशी विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता था उस समय मेरे प्राध्यापक रहे हैं और बी.ए., एम.ए. में उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स पढ़ाया था और जब वह यहां पर गवर्नर बनकर आये तो उस समय भी मुझे यहां मिनिस्टर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस समय भी जैसे एम. ए. में पॉलिटिक्स पढ़ाया करते थे और मुझे प्रेम करते थे इसी तरह पुत्र की तरह से प्रेम उस समय भी करते थे और मुझे कई बार उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वह बहुत ही विद्वान थे और बहुत अच्छे लेखक थे और उनकी पुस्तकें बी.ए., एम.ए. में पॉलिटिक्स में अभी तक भी पढ़ाई जाती है न केवल काशी विश्वविद्यालय में बल्कि दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी और जब वह राज्यपाल थे तब भी उनका पढ़ने और लिखने का शौक कम नहीं हुआ था बल्कि आखिर में भी वह पुस्तक लिखते रहे थे और उनका अध्ययन जारी था ऐसे विद्वान पुरुष और ऐसे सहृदय पुरुष राज्य में बहुत कम होते हैं और यह हमारा सौभाग्य था कि वे यहां राज्यपाल रहें और अब दुनियां में नहीं हैं। इसलिये मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इसी प्रकार से बच्चूसिंह जी जो हमारे भरतपुर के पड़ोस के रहने वाले थे वह बहुत ही मशहूर थे और जो सबसे पहले चुनाव हुए उसमें वह लोक सभा के लिये चुने गये थे और उनको बड़ी ख्याति प्राप्त थी। वह बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उनके निधन पर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ है।

इसी तरह से श्री मौलाना अब्दुलशकूर की मृत्यु हुई उनके लिये भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री गुरमुख निहालसिंह, श्री मौलाना अब्दुलशकूर और राजा गिर्राजशरणसिहजी के विषय में जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उनका मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से समर्थन करता हूं।

यहां पर इन भूतपूर्व राज्यपाल महोदय ने राजस्थान में किसी प्रकार के विरोध को जन्म नहीं दिया और उनका व्यक्तित्व एक तरह से निर्विरोध रूप से रहा और उन्होने शिक्षा के क्षेत्र में और दिल्ली में अपने मुख्य मंत्री के रूप में ख्याति अर्जित की है वह वास्तव में सराहनीय है।

इसी प्रकार राजा गिर्राजशरणसिंह जी जिनका नाम हिन्दू मुस्लिम दंगों के बाद ज्यादा हुआ और लोगों को भ्रम रहा कि हिन्दू मुस्लिम दंगों में उनका हाथ था तो यह साफ कहना चाहता हूं कि पिछले युद्ध में उनकी बड़ी सेवायें रही और भारत विभाजन के परिणामस्वरूप जो कुछ हुआ उसमें जो दोषारोपण किया जाता है वह बात नहीं थी। उनका व्यक्तिगत जीवन यदि हम देखें तो हमेशा उनका रसोइया मुसलमान होता था और उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ जैसा भी मौका आया लोगों की मदद की और यही नहीं भरतपुर और राजस्थान में तो लोकप्रिय थे लेकिन राजस्थान के बाहर भी मथुरा में जाकर जिस प्रकार का जनसमर्थन रहा वह उनकी ख्याति का द्योतक है।

इसी तरह से राष्ट्रीय विचारों के जो श्री मौलाना अब्दुलशकूर थे और जो राज्य सभा के सदस्य रहे उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस शोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सरदार गुरमुखनिहालसिंह और राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मौलाना अब्दुलशकूर व लोक सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गिर्राजशरणसिंह के असामयिक निधन पर अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे राज्यपाल महोदय प्रोफेसर थे और उसके बाद जब वह राज्यपाल बने तब भी उनमें कोई अन्तर नहीं आया। ज्यों ज्यों आम फलता है नीचे झुकता है। यही हालत उनकी थी और ऐसी मौत तो सचमुच चाहे हमारा कितना ही नुकसान हो लेकिन वह मौत धन्य है कि जिस प्रकार से कबीर के शब्दों में "ज्यों कि त्यों धर दीनी चदरिया" उनके ऊपर पूरी तरह से शब्द लागू होते हैं। ऐसे आदमी के प्रति उनके चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मौलाना शकूर के साथ मेरा विशेष सम्बन्ध रहा क्योंकि मेरे जीवन के जो मिशन हैं उनमें हिन्दू मुस्लिम एकता भी एक है। वह अजमेर निवासी थे और जहां मैं काम करता हूं वहां पर दो तीन हजार मुस्लिम रहते हैं वे भी काम करते थे। वह सच्चे माने में राष्ट्रीय मुसलमान थे यानि सच्चे माने में हिन्दुस्तानी थे। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजा गिर्राजशरण सिंहजी के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता लेकिन जो सदस्यों द्वारा मालूम

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हुआ वह बड़े बहादुर थे लेकिन उन्हें × × × लेकिन मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्ताव का समर्थन करता हूं

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, × × × शब्दों को कार्यवाही से एक्सपन्ज कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : × × × शब्दों को एक्सपन्ज किया जाता है।

माननीय सदन के नेता, माननीय विरोधी दल के नेता एवं अन्य माननीय सदस्यों ने जो अपनी भावनायें सरदार गुरमुखनिहालसिंह के निधन पर एवं मौलाना अब्दुलशकूर के सम्बन्ध में और राजा श्री गिर्राजशरणसिंह के निधन पर व्यक्त की है उनमें मैं अपनी भावनाएं सम्मिलित करता हूं।

सरदार गुरमुखनिहालसिंह महान राजनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री तथा कुशल प्रशासक थे। भूतपूर्व दिल्ली राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना की है। बाद में वे दिल्ली के मुख्य मन्त्री रहे।

वे 1956 में राजस्थान के सर्व प्रथम राज्यपाल नियुक्त हुए और 1962 तक इस पद पर रहे। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में उन्होंने राज्य का जो विवेकपूर्ण पथ प्रदर्शन किया और उसके विकास में जो योगदान दिया है वह चिरस्मरणीय रहेगा।

इसके अलावा श्री मौलाना अब्दुलशकूर जो अच्छे कार्यकर्ता थे उनके निधन पर भी जो माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उनमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

राजा गिर्राजशरणसिंह अपने क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय, साहसी व्यक्ति रहे हैं उनके निधन पर भी मैं माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

मैं इस अवसर पर अधिक न कहकर माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया दो मिनिट के लिए खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनिट तक मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की) सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5-22 बजे दिनांक 16 जनवरी, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

Page No 21

परिशिष्ट

राजस्थान के राज्यपाल सरदार हुकमसिंह का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

नव वर्ष के विधान सभा के प्रथम अधिवेशन में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।

2. संविधान के तेईसवें संशोधन में 26 जनवरी, 1970 के बाद अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के लिए संसद व राज्य विधान सभाओं में आरक्षण की अवधि बढ़ाने की व्यवस्था की गई है और इसके अनुसमर्थन के लिए विधान सभा का अधिवेशन इस वर्ष कुछ पहले बुलाना पड़ा है। विधान सभा भवन के नवीनीकरण (रिनोवेशन) हेतु बैठने की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया है। इससे आपको असुविधा होगी, यह स्वाभाविक है। फिर भी, मुझे आशा है कि संविधान-संशोधन-विधेयक के महत्व को देखते हुए, इस असुविधा पर आप ध्यान नहीं देंगे।

3. जैसा कि आप भली प्रकार जानते हैं, पिछले वर्ष राज्य को अभूतपूर्व सूखे की स्थिति के कारण संकट के दौर से निकलना पड़ा है। राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहयोग, अपने सभी साधनों, और जनता के सहयोग से, इस चुनौती का सामना किया। राज्य में सूखे की भीषणता का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष जून और जुलाई के महीनों में 20 लाख मजदूरों को अकाल सहायता कार्यों पर रोजगार दिया गया। मैं इस अवसर पर अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने इस भीषण संकट काल में अपने धैर्य एवं मनोबल को बनाये रखा।

4. अभाव-ग्रस्त लोगों को सहायता कार्यों पर लगाने, चारे तथा पीने के पानी की व्यवस्था करने के अतिरिक्त ऐसे स्थायी कार्यों को हाथ में लेने की कोशिश की गई है जिससे कि भविष्य में, सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। अकाल सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत भू-संरक्षण, सिंचाई तथा वन लगाने सम्बन्धी काफी कार्य किये गये हैं। इसके अतिरिक्त डामर तथा कंकरीट की सड़कों एवं पुलों का निर्माण किया गया है जो कि स्थायी महत्व के कार्य हैं। ट्यूबवैल लगाने तथा जल-प्रदाय योजनाओं को हाथ में लिये जाने से कुछ इलाकों में पीने के पानी की कमी की समस्या को भी हल करने में सहायता मिली है।

5. दुर्भाग्यवश इस साल भी राज्य के बहुत से भागों में वर्षा का अभाव रहा है। कई क्षेत्रों में पीने के पानी की बहुत ज्यादा कमी है। इस साल स्थायी महत्व के राहत कार्यों को हाथ में लिये जाने पर पहले से भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यह भी तय किया गया है कि अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत नई सड़कों का निर्माण करने तथा उनमें सुधार करने के अलावा महत्वपूर्ण सड़कों पर डामर डालने, कंकरीट बिछाने तथा पुलियाओं का कार्य भी किया जाये। जवाई तथा हेमावास बांधों में पानी की कमी होने से जोधपुर में उत्पन्न आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए रामपुरा तथा मथानियां गांवों से पानी लाने के लिए एक योजना भी आरम्भ की गई है और यह आशा की जाती है कि आगामी ग्रीष्म-ऋतु

(सरदार हुकमसिंह)
से पूर्व यह कार्य पूरा हो जायेगा। वर्तमान संकटावस्था को दूर करने तथा जल प्रदाय के मौजूदा साधनों को बढ़ाने के लिये सिरोही, पाली, किशनगढ़, ब्यावर आदि की जल-प्रदाय योजनाओं में भी स्थायी सुधार किये जाने का कार्य हाथ में लिया जा रहा है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने का पानी मुहैय्या करने के लिए बड़े पैमाने पर ट्यूब-वेल लगाने की योजना के अन्तर्गत चालू अकाल के दौरान सौ और ट्यूब-वेल बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही कुछ स्थानों में क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजनाओं पर भी काम शुरू किया जा रहा है।

6. स्थायी महत्व के कार्यों की दृष्टि से, राज्य के कुछ इलाकों में सहायता कार्यों के लिए अधिक गुंजाइश नहीं है। इन क्षेत्रों में जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लघु-सिंचाई, वनरोपण तथा भू-संरक्षण सम्बन्धी कार्य भी बड़े पैमाने पर चलाना सम्भव नहीं है। बहुत सोच-विचार के बाद, सरकार ने जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों तथा जोधपुर के कुछ भागों में अभी काम बन्द करने का फैसला किया है। राज्य सरकार की यह इच्छा है कि इन क्षेत्रों के लोगों को राजस्थान नहर-परियोजना में काम दिया जाय ताकि एक ओर तो प्रभावित लोगों को उपयोगी काम मिल सके और दूसरी ओर अकाल की समस्या का स्थायी हल देने वाली इस महत्वपूर्ण योजना का काम और तेजी से चलाया जा सके। इस योजना पर जाने वाले अकाल-पीड़ितों के लिए सरकार ने निःशुल्क यातायात और निवास की सुविधायें दी हैं तथा पेय-जल और कम दरों पर खाद्यान्न के वितरण की भी व्यवस्था की है। हम आशा करते हैं कि इस योजना पर अधिकाधिक अकाल-पीड़ितों के जाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनेगा। उपरोक्त क्षेत्रों से जिन परिवारों के लोग राजस्थान नहर पर जाने में असमर्थ रहेंगे, उन्हें निर्वाह के लिए अकाल के दौरान प्रति व्यक्ति प्रति-माह 10) रु. दिया जायेगा, जिसमें से आधा अनुदान और आधा ऋण होगा। राजस्थान सरकार भारत सरकार से इस बारे में लगातार बात कर रही थी कि सीमावर्ती इलाकों के लिए जहां अकाल की सबसे भयंकर स्थिति है, ऐसी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति भी दे दें जो प्राथमिकता में नीचे आती हैं। हमें खुशी है कि भारत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में ही 30 लाख तक के काम स्वीकृत कर दिये हैं और आगामी वर्ष में भी इन कार्यों पर लगभग ढाई करोड़ रुपया और खर्च किये जाने की आशा है। इस स्वीकृति से जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में स्थायी महत्व के ये कार्य भी शुरू किये जा सकेंगे। सरकार ने विभागों को यह भी आदेश दिये हैं कि जिन इलाकों में काम बन्द किये गये हैं उनमें स्थायी लाभ के अन्य कार्यक्रमों की योजना शीघ्रातिशीघ्र तैयार करलें ताकि उन पर भी काम किया जा सके और जितने आदमी उन कामों के लिए आवश्यक हों, उनको उन कामों पर लगाया जा सके।

7. राजस्थान आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और कई भागों में लगातार अकाल पड़ने की वजह से सरकार के वित्तीय साधनों पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस विपत्ति के समय भारत सरकार आर्थिक साधन उपलब्ध करवाने में जो सहयोग दे रही है उसके लिए हम उसके आभारी हैं। साथ ही राज्य सरकार की यह

(सरदार हुकमसिंह)

निश्चित मान्यता है कि अकाल सहायता के लिए जो आधार भारत सरकार ने अब तक माना है, वह राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए बहुत ही प्रतिकूल पड़ता है। किसी प्रदेश में यदा कदा अकाल पड़ता हो वहां के लिए शायद यह आधार ठीक हो, लेकिन जहां पिछले पांच वर्ष में चार बार अकाल पड़े हों, और राज्य का कोई न कोई भाग अकाल की स्थिति से निरन्तर प्रभावित रहता आया हो, उस प्रदेश के लिए ये सामान्य आधार उपयुक्त नहीं हो सकते। वर्तमान प्रणाली के अनुसार भारत सरकार स्वीकृत व्यय का 50 प्रतिशत ही अनुदान के रूप में देती है। जिसके कारण राज्य सरकार को सहायता खर्च का एक बड़ा भाग ऋण लेकर पूरा करना होता है। इस ऋण के ब्याज और चुकारे का सारा भार राज्य सरकार पर पड़ता है जब कि सहायता कार्यों से सरकार को कोई भी आमदनी नहीं होती है। पांचवें वित्त आयोग ने इन्हीं कारणों से 75 प्रतिशत अनुदान देने की सिफारिश की है। राज्य सरकार की भारत सरकार से पुरजोर शब्दों में अपील है कि कम से कम इस सिफारिश को तो शीघ्रातिशीघ्र स्वीकार किया जाय।

8. आपको विदित ही है कि साधनों की अनिश्चितता के कारण राज्य की चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। राज्य सरकार ने 313 करोड़ रुपयों की योजना प्रस्तावित की थी लेकिन योजना आयोग ने सिर्फ 239 करोड़ रुपयों की योजना के लिए ही सहमति दी, जो राज्य सरकार को स्वीकार नहीं थी। यद्यपि चतुर्थ योजना के आकार के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है किन्तु योजना आयोग ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि हमारी चतुर्थ योजना 302 करोड़ रुपयों से कम की नहीं होगी। हम अब भी इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि चतुर्थ योजना की राशि को बढ़ा कर कम से कम 316 करोड़ तक कर दिया जाय। चतुर्थ योजना के आकार में वृद्धि किये जाने से, विकास की गति तीव्र करने तथा राज्य की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में बड़ी मदद मिलेगी। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि राज्य के विकास कार्यक्रमों में, विशेषतः लघु-सिंचाई योजनाओं और ग्रामीण विद्युतीकरण में गति लाने के लिए राज्य की योजना-राशि के अलावा संस्थागत साधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाय। सघन क्षेत्र विकास के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम की सहायता से अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

9. राजस्थान सरकार जनतन्त्रीय समाजवाद में पूर्ण आस्था रखती है और पूर्व में भी भूमि सुधार सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण कदम इसी लक्ष्य को सामने रख कर उठाये गये थे। आज इस बात की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि जिन व्यक्तियों के पास आमदनी के साधन नहीं हैं, उनको ऐसे साधन उपलब्ध करवाये जायें, एवं कम आमदनी वाले और मध्यम वर्ग वालों की स्थिति में सुधार किया जाये। बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय से किसानों को खेती के कार्य के लिए ऋण प्राप्त करने का एक नया स्रोत उपलब्ध हुआ है। राज्य सरकार इन बैंकों से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुये हैं और वह इस बात का प्रयत्न कर रही है कि अधिकारों के सत्यापन एवं ऋण मंजूर करने के आसान तरीके निकाले जायें जिससे जरूरतमंद किसानों को ऋण समय पर और

(सरदार हुकमसिंह)

आसानी से प्राप्त हो सके। सरकार ने काश्तकारों को पास-बुक देने का निश्चय किया है और वितरण का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। इससे हक सम्बन्धी सत्यापन कार्य में होने वाले विलम्ब को कम किया जा सकेगा और काश्तकार इन संस्थाओं से बिना किसी कठिनाई के ऋण प्राप्त कर सकेंगे। गैर खातेदार काश्तकारों को सहायता देने के लिए एक अध्यादेश पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसके अनुसार ऐसे काश्तकारों को बैंकों को भूमि बंधक रखने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है।

10. पिछला अनुभव बतलाता है कि बैंकों से ऋण की सुविधायें केवल अपेक्षाकृत खुशहाल किसानों को ही मिल पाती थीं। छोटे किसान, जिन्हें वस्तुतः ऋण की अधिक आवश्यकता है, वे इन संस्थाओं से, अपनी ऋणपात्रता साबित करने सम्बन्धी कठिनाई के कारण ऋण प्राप्त नहीं कर पाते थे। इसलिए यह महसूस किया गया कि छोटे किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और अब तक चले आ रहे ऋण-पात्रता के मूल आधार को जो सम्पत्ति पर आधारित था और जिससे केवल बड़े काश्तकारों को ही लाभ पहुंचता था, बदलना होगा और इसको प्रयोजनआधारित बनाना होगा। इस सारे क्रम में विलम्ब न हो इस दृष्टि से सरकार ने 5 एकड़ तक सिंचित और 15 एकड़ तक असिंचित भूमि धारण करने वाले किसानों को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की सम्पूर्ण गारन्टी देने का निश्चय किया है। आवेदनपत्रों की जांच एवं हक का सत्यापन सरकारी एजेन्सियों द्वारा किया जावेगा और उनकी सिफारिश पर बैंक आवश्यक ऋण सुविधायें प्रदान करेगा। इस योजना के अधीन सरकार 7 करोड़ रुपये तक की गारन्टी देने का निर्णय कर चुकी है और भविष्य में आवश्यकतानुसार इस सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। यह उपाय हमारे गांवों के उस कमजोर तबके को बड़ी राहत पहुंचायेगा जो अब तक के हमारे विकास कार्यक्रमों से वांछित सीमा तक फायदा नहीं उठा सके हैं। राजस्थान सरकार आगे इस बात पर भी सोच रही है कि किस प्रकार भूमिहीनों को भी बैंकों के जरिये रोजगार के लिए सुविधायें दिलाई जायें। जिन ऋणों के लिए राज्य सरकार गारण्टी देगी वे ऋण नये कुए खोदने, कुओं को गहरा करने, खेतों में नालियां आदि बनाने और पम्पिगसेट तथा अन्य कृषि सम्बन्धी उपकरणों के लिए उपलब्ध होंगे। इन ऋणों का वापिस भुगतान साधारणतया पांच या सात वर्षों में, छमाही किश्तों में देय होगा। यदि इस अवधि में किसी वर्ष उस क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस वर्ष की किश्तों को आगे बढ़ा दिया जायेगा। विकास खण्डों की कृषि उत्पादन स्थायी समितियां अपनी मासिक बैठकों में, इस ऋण के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार करेंगी तथा पांच हजार रुपये तक के ऋण के लिए बैंकों को सिफारिश करने हेतु सक्षम होंगी। इसी प्रकार से दस हजार रुपये तक के ऋणों के लिए जिला स्तर की कृषि उत्पादन समिति कार्यवाही करेगी। प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से ऋण के लिए आवेदन-पत्र का बहुत ही सादा प्रपत्र बनाया गया है तथा राज्य सरकार की ओर से गारण्टी-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए

(सरदार हुकमसिंह)
विकास अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

11. समाजवादी व्यवस्था सम्बन्धी व्यापक आर्थिक नीतियों का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है और इस दिशा में केन्द्र द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं उससे हम उस उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे, ऐसी हमारी निश्चित मान्यता है। साथ ही भूमि सम्बन्धी नीतियों और सुधारों के क्षेत्र में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि यह राज्य भूमि-सुधारों में अग्रणी रहा है और उन राज्यों में से है जिन्होंने सबसे पहले बिचौलियों को समाप्त किया और खातेदारी अधिकार भूमि को वास्तविक रूप में जोतने, बोने वालों को निःशुल्क दिये। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कठिन समस्या भूमिहीनों के आर्थिक पिछड़ेपन की है। सरकारी भूमि का आवंटन साधारणतया भूमिहीन काश्तकारों को ही होता रहा है परन्तु गांधी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में इस वर्ष, बड़ी सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त, सभी क्षेत्रों में केवल अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों को ही भूमि आवंटित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। फिर भी अब तक के अनुभवों और बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए हमारे सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कुछ और अग्रगामी कदम उठाने आवश्यक हैं। सरकार ने यह पहले ही निर्णय ले लिया था कि भूमि-जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाय और इस प्रकार प्राप्त भूमि को भूमिहीन श्रमिकों में वितरित किया जाय। सरकार ने यह निश्चय किया है कि 30 स्टेण्डर्ड एकड़ से बड़ी सभी जोतों पर यह कानून पूरी तरह से तुरन्त लागू कर दिया जाये जिससे कि भूमिहीनों को भूमि का वितरण शीघ्र किया जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति में यथासम्भव सुधार लाया जा सके। इसके साथ साथ सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय भी किया है कि सुव्यवस्थित यांत्रिक फार्म, चीनी मिलों के अन्तर्गत आने वाले फार्म एवं भेड़ व पशु-पालन के फार्मों को अधिकतम सीमा कानून से छूट को समाप्त कर दिया जाय क्योंकि इस छूट के दुरुपयोग होने की अधिक सम्भावना है। अधिकतम सीमा के कानून को लागू करने में कानून और कार्य प्रणाली सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण विलम्ब होने से इस बीच बहुत से हस्तान्तरण जो हो चुके हैं, उनमें जो हस्तान्तरण भूमिहीनों को हुए हैं, उनको सरकार मान्यता देकर चलेगी।

12. समाज के कमजोर तबकों को गांवों में आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा है। चूंकि उनके पास आबादी भूमि में प्लॉट खरीदने के लिये साधन नहीं थे, इसलिए उनमें से अधिकांश को अस्थाई आवास बनाने पड़े। परिणामस्वरूप उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी है और उन्हें बेदखली का भय भी हमेशा बना रहता है। इसलिए सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सभी सदस्यों, गांव के छोटे कारीगरों और भूमिहीन श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भवन बनाने हेतु निःशुल्क प्लॉट देने का निश्चय किया है।

13. बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में बड़े पैमाने पर पूंजी के नियोजन की जरूरत होती है और

(सरदार हुकमसिंह)
इस राशि पर लगने वाले ब्याज, ऋण के पुनर्भुगतान एवं परियोजनाओं के सधारण पर होने वाले व्यय के रूप में राज्य के कोष पर बहुत बड़ा दायित्व आता है। अतः यह उचित समझा गया था कि परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थित भूमि की नीलामी द्वारा राज्य कोष पर आने वाले दायित्व के एक भाग की पूर्ति की जाय। इसकी वजह से भूमिहीन और छोटे किसानों में आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे किसान खुली नीलामी में सम्पन्न भूमि-धारकों का मुकाबला नहीं कर सकते। भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि देने की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने अपनी इस नीति पर पुन विचार किया है और यह निश्चय किया है कि भविष्य में सभी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि नीलाम नहीं की जावेगी और उपलब्ध समस्त भूमि आरक्षित मूल्य पर आवंटन की जायेगी और उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता दी जायेगी।

14. मैं अत्यन्त दुःखित हृदय से राज्य में पिछले दिनों हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। गंगानगर जिले के भादरा एवं सांगरिया स्थानों पर पिछली 7 जनवरी को पुलिस को कानून-व्यवस्था के सिलसिले में उग्र भीड़ पर गोली चलानी पड़ी जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों की जानें गईं और कई लोग घायल हुए, इसका मुझे अत्यन्त दुःख है और मृत व्यक्तियों के परिवार वालों के प्रति मैं, अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही मैं जनता से एवं लोक-नेताओं से यह भी अपील करना चाहता हूं कि वे समाज में शान्ति बनाये रखें और मतभेद के विषयों को शान्तिपूर्ण तरीकों से सुलझाने की नीति अपनायें।

15. इस सत्र का मुख्य कार्य, जिसके लिए आपको यहां आमंत्रित किया गया है, संविधान के 23वें संशोधन का अनुसमर्थन करना है। इसके अलावा राज्य सरकार इस सत्र में राजस्थान ग्रामदान अध्यादेश, 1969, राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, 1969, राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1969, राजस्थान साहूकारा (संशोधन) अध्यादेश, 1969 राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1969, राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1969, औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1969, राजस्थान (प्रतिकूल कार्यों का प्रतिरोध) अध्यादेश, 1970 आदि भी आपके समक्ष विचार-विमर्श एवं उचित कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करेगी।

16. वर्तमान वर्ष संघर्षों से जूझने और अभावों को चुनौतियां देने का रहा है। यह निश्चय है कि भविष्य आशाओं से परिपूर्ण है और यदि परिस्थितियों ने साथ दिया व सुलझे हुए विचारों के सहयोग का बल मिला, तो आगामी कल उज्जवल होगा। आप सभी माननीय सदस्य राज्य की गतिविधियों के पथ-दर्शक, समालोचक और सहयोगी चिन्तक हैं। हमें आशा है कि सब मिलकर के चुनौतियों का मुकाबला करेंगे और एक सुदृढ़ राजस्थान को बनाने की ओर अग्रसर होंगे।

—: जयहिन्द :—

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 15 जनवरी, 1970)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	2	निवेदन	निवेदन
2	9	चाहू्न ।	चाहता
5	अन्तिम	भूतपूवं	भूतपूर्व
8	अन्तिम से 5	ारा	द्वारा
15	,, 7	इा	इस
19	,, 13	ल	लें
23	शीर्षक	े	में
26	1	जाहिय	चाहिये
26	2	बूरी	बुरी
26	14	अि ात	अर्पित
27	शीर्षक	गोखीकान्ड	गोलीकान्ड
36	,,	मों. अब्दुल शकूल	मौ. अब्दुलशकूर
39	11	माननीम	माननीय
40	अन्तिम से 4	जा ी	जानी
42	21	ि्चर	विचार
43	7	लेर्ि न	लेकिन
43	अन्तिम से 15	उटाये	उठाये
43	,, 15	बात्र	बात
44	,, 3	सादा	सीदा
45	,, 15	योग्र ाग्रों	योजनाग्रों
46	14	अध ादेश	अध्यादेश